



लोक सभा सचिवालय  
प्रेस एवं जन सम्पर्क स्कंध  
संसद भवन, नई दिल्ली  
LOK SABHA SECRETARIAT  
Press and Public Relations Wing  
Parliament House, New Delhi

प्रेस विज्ञप्ति PRESS RELEASE

**QUICK DISSEMINATION OF INFORMATION AND TRANSPARENCY HAVE CURBED CORRUPTION: LOK SABHA SPEAKER/सूचना के त्वरित आदान प्रदान एवं पारदर्शिता ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है: लोक सभा अध्यक्ष**

...

**IT IS IMPORTANT TO BE AWARE ABOUT MISUSE OF RTI: LOK SABHA SPEAKER/RTI के दुरुपयोग से सावधान रहने की आवश्यकता: लोक सभा अध्यक्ष**

...

**INTENTIONS BEHIND RTI APPLICANTS SHOULD BE UNDERSTOOD BEFORE PROCESSING APPLICATIONS: LOK SABHA SPEAKER/RTI दाखिल करने वाले की मंशा का अध्ययन करना आवश्यक: लोक सभा अध्यक्ष**

...

**CENTRAL INFORMATION COMMISSION HAS UPHELD VALUES OF PUBLIC WELFARE AND TRANSPARENCY AND EMPOWERED DEMOCRACY THROUGH RTI: LOK SABHA SPEAKER/जन कल्याण एवं पारदर्शिता के मूल्यों का परिचय देते हुए सूचना आयोग ने RTI द्वारा लोकतंत्र को सशक्त किया है: लोक सभा अध्यक्ष**

...

**LOK SABHA SPEAKER INAUGURATES 15TH ANNUAL CONVENTION OF CENTRAL INFORMATION COMMISSION/लोक सभा अध्यक्ष ने केन्द्रीय सूचना आयोग के 15 वे वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह को सम्बोधित किया**

**New Delhi 09 November 2022:** Lok Sabha Speaker Shri Om Birla inaugurated the 15th Annual Convention of the Central Information Commission at Vigyan Bhawan today.

Speaking on the occasion, Shri Birla lauded the role and contribution of Central Information Commission. He observed that the Information Commission has upheld the values of public welfare and transparency and empowered democracy, through the Right to Information Act. He noted that the nation has set new benchmarks of socio-economic transformation in its 75 year long journey as a democracy. Referring to legislation, Shri Birla observed that keeping in view public welfare, legislative institutions at the Central and State levels have worked to empower citizens, uphold peoples' rights and ensure accountability and transparency of the Governance apparatus.

Referring to important changes resulting from the Right to Information Act, Shri Birla opined that e-governance, quick exchange of information and transparency in governance have curbed corruption and strengthened the rule of law. He felt that a corruption free India has an important role in Prime Minister Shri Narendra Modi's vision of a developed India, which may be brought to reality through public participation.

Mentioning about the increasing confidence of the people in governance and administration, Shri Birla observed that the people's confidence has been strengthened by quick dissemination of information and transparent implementation of policies due to the Right to Information Act. He added that the weaker sections of society have benefited from steps taken towards corruption free India. Shri Birla also cautioned against the misuse of RTI, mentioning that it is necessary to understand the intention of the RTI applicant before processing applications.

At the end, Shri Birla conveyed his best wishes to all stakeholders for meaningful discussions during the Convention, being organized during Azadi Ka Amrit Mahotsav.

Minister of State (Independent Charge) in the Ministry of Science and Technology and the Ministry of Earth Sciences and MoS in Prime Minister's Office, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh also participated in the Convention. Chief Information Commissioner Shri Yashvardhan Kumar Sinha delivered the welcome address.

**नई दिल्ली 09 नवम्बर 2022:** लोक सभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज विज्ञान भवन में आयोजित केन्द्रीय सूचना आयोग के 15 वे वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की तथा सभा को सम्बोधित किया। इस अवसर पर श्री बिरला ने केन्द्रीय सूचना आयोग की सराहना करते हुए कहा कि जन कल्याण एवं पारदर्शिता के मूल्यों का परिचय देते हुए सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा लोकतंत्र को सशक्त किया है। उन्होंने आगे कहा कि 75 वर्ष की लोकतान्त्रिक यात्रा में देश ने सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के नए कीर्तिमान स्थापित किये हैं। विधि निर्माण का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि जन कल्याण के मूल्यों तथा जनादेश के आधार पर केंद्र एवं राज्य स्तर पर विधि संस्थाओं ने जनता को अधिकार दिलाने में व्यापक कार्य किया है और शासन-प्रशासन की जवाबदेही एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की है।

श्री बिरला ने सूचना का अधिकार अधिनियम से आने वाले व्यापक परिवर्तन का उल्लेख करते हुए सूचित किया कि इ गवर्नेंस, सूचना के त्वरित आदान प्रदान एवं ग्रामीण स्तर तक आने वाली पारदर्शिता ने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है तथा विधि शासन को मजबूत किया है। उन्होंने आगे कहा की माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के विजन में भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बड़ी भूमिका है, जो कि जन भागीदारी के आधार पर सुनिश्चित की जा रही है।

जनता के शासन प्रशासन पर बढ़ते विश्वास का उल्लेख करते हुए श्री बिरला ने कहा कि RTI से जुड़े त्वरित जानकारी एवं पारदर्शी कार्यान्वयन से जनता का विश्वास सशक्त हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इस प्रकार भ्रष्टाचार मुक्त भारत की दिशा में उठे कदम से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को लाभ मिला है। अपने सम्बोधन में श्री बिरला ने RTI के दुरुपयोग से सावधान रहने का उद्घोष किया, उन्होंने जोर देकर कहा कि RTI दाखिल करने वाले की मंशा का अध्ययन करना आवश्यक है तथा ऐसे कदमों से और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकती है। अंत में उन्होंने आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आयोजित इस अधिवेशन में सभी हितधारकों को सार्थक चर्चा संवाद के लिए शुभकामनाएं दीं।

इस अवसर पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं भू-विज्ञान मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा प्रधान मंत्री कार्यालय, कार्मिक, जनशिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में

राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भी भाग लिया। मुख्य सूचना आयुक्त श्री यशवर्धन कुमार सिन्हा ने स्वागत सम्बोधन प्रस्तुत किया।